

के पश्चात् कार्यान्वयन हेतु समन्वय स्थापित करेगी। इस समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों एवं गैर सरकारी संस्थानों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा एवं उनका मंतव्य प्राप्त किया जायगा।

इस समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मुकेश कुमार वर्मा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/पर्या०प्रदू०(विविध)-25/2008...../व०प०, राँची, दिनांक

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 100 अतिरिक्त प्रतियाँ प्रकाशनोपरांत उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/पर्या०प्रदू०(विविध)-25/2008...../व०प०, राँची, दिनांक

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/कृषि विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/परिवहन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/उद्योग विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास विभाग/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/पर्या०प्रदू०(विविध)-25/2008.....1706...../व०प०, राँची, दिनांक 6/5/2011/

प्रतिलिपि-अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।